

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म - मृत्यु), मध्यप्रदेश

प्रारूप क्रमांक 10

(नियम 13 देखिए)

// आप्राप्यता प्रमाण पत्र //

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के धारा 17 के अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमार/कुमारी.....

आत्मत/वल्द/पत्नि/पुत्री.....के निवेदन पर वर्ष (वर्षों).....

.....(स्थानीय क्षेत्र).....तहसील.....

जिला पन्ना राज्य मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख की तलाशी ली गई और पाया गया

किपुत्र/पुत्री/पत्नि.....के

जन्म /मृत्यु की घटना रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत नहीं है ।

दिनांक.....

जारी करने वाले का नाम

हस्ता० एवं मुहर